यूनुस-यूसुफ पर आजीवन पाबंदी

पहले पेज से आगे

लेकिन फिर भी अकमल मीडिया से बार-बार ये कहते रहे कि वो आखिरी टेस्ट खेल रहे हैं। जबकि उनके भाई उमर ने अनफिट होने का बहाना बनाया था। पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पाकिस्तान को 3 टेस्ट मैच, पांच वनडे और एक टी-20 मैच में हार का सामना करना पड़ा था।

पाक क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने कमेटी के गठन पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि कमेटी के पांच सदस्य तो बोर्ड के ही सदस्य थे। ये कोई स्वतंत्र कमेटी नहीं थी। एक मात्र सदस्य जो बाहर से थे वो थे वसीम अकरम लेकिन वो कभी कमेटी की बैठक में गए ही नहीं तो इसके फैसले पर सवाल उठना लाजिमी है। पीसीबी के मीडिया मैनेजर नदीम सर्वर ने कहा कि अगर ये खिलाड़ी चाहें तो सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। उनके पास चेयरमैन के पास अपील का अधिकार बचा है। नदीम ने कहा कि इस सजा का मैच फिक्सिंग से कोई लेना-देना नहीं है। हमने सिर्फ टीम में बढ़ती अनुशासनहीनता को कंट्रोल करने के लिए ये कदम उठाया है।

पूर्व कप्तान रमीज राजा ने कहा कि खिलाड़ियों को सजा दिए जाने के पीछे अनुशासनहीनता ही एक मात्र कारण बताया जा रहा है। अनुशासनहीनता पर किसी खिलाड़ी के खिलाफ ऐसी सजा बहुत कड़ी है। आमिर सुहैल ने कहा कि मैंने सजा के बारे में सुना है लेकिन इसका कारण क्या है ये मैं नहीं जानता।

महिला आरक्षण बिल: अहम् पड़ाव

लगभग 14 साल का सफ़र तय करने के बाद महिला आरक्षण बिल संसद के ऊपरी सदन में पास हो पाया। इस दौरान कभी मंत्री को महिला सांसदों को ढाल की तरह इस्तेमाल करना पड़ा तो कभी बिल की प्रतियां सरेआम फाड़ कर उछाल दी गईं। अहम पड़ाव।

12 सितंबर 1996- उस वक्त की एचडी देवेगौड़ा सरकार ने महिलाओं को संसदीय प्रणाली में 33 फ़ीसदी आरक्षण देने के लिए विधेयक पहली बार लोकसभा में पेश किया गया।

9 दिसंबर 1996- लोकसभा में पेश न किए जा सकने के बाद महिला आरक्षण बिल को गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय कमेटी में भेज दिया गया।

जून, 1997- शरद यादव इस बिल के शुरू से विरोधी रहे हैं। उन्होंने कहा, क्या आपको लगता है कि ये छोटे बालों वाली महिलाएं हमारी महिलाओं के बारे में बात करेंगी।

13 जुलाई 1998- अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने फिर से विधेयक को संसद में पेश किया। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने विधेयक की कॉपी उस वक्त के लोकसभा स्पीकर जीएमसी बालयोगी के हाथों से छीन ली और टुकड़े टुकड़े कर दिए।

1999- एनडीए सरकार ने एक बार फिर महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश किया लेकिन रज़ामंदी पाने में नाकाम रही।

2002- एनडीए सरकार ने एक बार फिर विधेयक संसद में लाया और कांग्रेस के साथ साथ लेफ़्ट पार्टियों ने सरकार को भरोसा दिया कि वे बिल का साथ देंगी।

2003- बीजेपी की सरकार ने बिल को फिर से संसद में पेश करने की कोशिश की। विरोध होने पर बीजेपी नेता विजय कुमार मल्होत्रा ने कहा था कि वह इसी सत्र में बिल को पास कराएंगे, चाहे इस पर एक राय बने या न बने।

मई 2003- बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी ने महिला आरक्षण बिल को थोड़े दिनों बाद लाने की बात कही। कुछ सांसद हल्ला करते हुए सदन के बीच में आ गए और उन्होंने कहा कि मौजूदा स्वरूप में वे इस बिल को पास नहीं होने देंगे।

2004- उस वक्त के प्रधानमंत्री और बीजेपी के क़द्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कांग्रेस पर इलज़ाम लगाया कि वह इस बिल को पास होने में अड़ंगा लगा रही है। वाजपेयी ने एलान किया कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो फ़ौरन महिला आरक्षण बिल पास होगा। वाजपेयी चुनाव हार गए। उसी साल कांग्रेस ने चुनाव जीतने के बाद महिला आरक्षण के मुद्दे को अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल कर लिया।

2005- बीजेपी ने बिल को पूरा समर्थन देने का एलान कर दिया। हालांकि उनकी पार्टी में उमा भारती जैसे कुछ नेता कोटा के अंदर कोटा की मांग कर रहे थे।

06 मई, 2008- क़ानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने जब बिल पेश करने की कोशिश की तो समाजवादी पार्टी के सांसद ने उनके हाथ से इसे छीनने का प्रयास किया। इसके बाद भारद्वाज दो महिला मंत्रियों के बीच में जाकर बैठ गए। समाजवादी पार्टी के अबु असीम ने जब फिर से हमला किया, तो कांग्रेस की रेणुका चौधरी ने उन्हें धक्का देकर एक तरफ़ कर दिया।

दिसंबर 2009- क़ानून और न्याय पर बनी संसदीय कमेटी ने सिफ़ारिश की कि इस विधेयक को पारित किया जाना चाहिए।

25 फ़रवरी 2009- यूपीए सरकार की कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंज़ूरी दे दी। **09 मार्च 2010**- राज्यसभा ने महिला आरक्षण बिल को पास कर दिया।

एशियाई युवा मुक्केबाजी 5 भारतीय फाइनल में

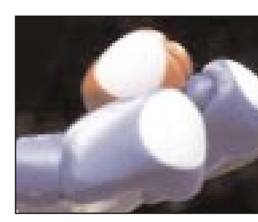

नई दिल्ली, 10 मार्च (एजेंसी)। भारतीय मुक्केबाजों का ईरान की राजधानी तेहरान में चल रही एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन जारी है और पांच मुक्केबाज अपने-अपने वजन वर्ग के फाइनल में पहुंच गए हैं।

भारतीय मुक्केबाजी संघ द्वारा यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार देवेन्द्रो सिंह लैसराम (48 किग्रा), वी नागार्जुन (57 किग्रा), विकास कृष्ण (60 किग्रा), सुमित सागवान (75 किग्रा) और नवीन (81 किग्रा) मंगलवार रात को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले जीतकर अपने-अपने भार वर्ग के फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए कम से कम रजत पदक पक्के कर लिए हैं।

देवेन्द्रो ने फिलीपींस के एंगबर्ट मोरालाई को 5-0 से हराया। नागार्जुन ने किर्गीस्तान के हुर्सल्टन पेजीलोव को 8-1 से हराया। कृष्ण ने चीन के फेई हेंग को 9-0 से हराया और सागवान ने थाईलैंड के सिकोरेई छूजिट को 2-0 से हराया। नवीन उजबेकिस्तान के बेगालीव साद्रोबेक को हराया। हालांकि श्रीनिवास सुब्रेती 51 किग्रा वर्ग में सेमीफाइनल मुकाबला हार गए।

गणित का चौराहा - 1210

6	-	9	-	1	-4
+		/		-	
4	-	3	-	5	-4
/		X		X	
2	-	8	-	7	-13
8		24		-34	

अंक जाल-1290 का हल

	24	21	10		33	23	12	21	
15	7	5	3		4	9	5	8	26
17	8	2	7		3	4	2	6	15
16	7	9		3	7	2	5	7	24
33	2	5	7	8	9	2			
			3	8	5	6	7	3	32
22	6	4	5	2	5		6	3	9
27	4	7	8	8		5	8	6	19
25	4	6	8	7		6	7	1	14
	14	17	31	36		11	28	13	

सुडोकू- 1480 का हल (E)

8	2	7	6	9	5	3	4	1
9	6	4	2	1	3	8	7	5
1	5	3	8	7	4	9	2	6
2	4	1	9	6	7	5	3	8
5	7	9	3	4	8	6	1	2
3	8	6	1	5	2	4	9	7
7	3	2	5	8	9	1	6	4
4	1	8	7	3	6	2	5	9
6	9	5	4	2	1	7	8	3

मिनी सुडोकू-351 का हल

5	4	1	6	2	3
2	6	3	5	1	4
6	2	5	4	3	1
3	1	4	2	6	5
1	5	6	3	4	2
4	3	2	1	5	6

छत्तीसगढ़ शब्द पहेली क्रमांक-1450 का सही उत्तर

मृ	ग								
णा		शु							छि
ल	ग	भ	ग					श	त
पां	त		ल	त		त	क	रा	र
डे		न	फ	र	त		या	रा	ना
	झ	ग	ड़ा		ब	र	स		
	मे					हा		खि	न
स	ला	म	त		ख	स	ख	स	
ला		ज		दो	रा	हा		क	र
ह	क	मा	र	ना			क	ना	त

अब माया के भरोसे चलेगी सरकार

आखिरी पेज से आगे

मायावती पर निर्भरता को कम करने के लिए काँग्रेस के पास विकल्प होगा कि वह जनता दल यूनाइटेड और बीजू जनता दल जैसी पार्टियों को अपने साथ मिला ले। जदयू के पांच सांसदों ने महिला आरक्षण बिल के समर्थन में मतदान किया था। इसमें सफलता मिली तो काँग्रेस के आगे की राह कुछ आसान हो जाएगी।

अपने सांसदों के साथ सदन से बाहर चले गए लालू यादव और मुलायम सिंह अब यूपीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। ताजा राजनीतिक हालात को देखते हुए भाजपा या वामपंथी दल परिस्थिति का लाभ उठाने की सूरत में नहीं दिखते। वामपंथी दलों की इस समय बड़ी चिंता केरल और पश्चिम बंगाल के चुनाव हैं। लालू या मुलायम के साथ मिलकर यूपीए की सरकार के साथ खेलने की बजाज उनके लिए ज्यादा अहम बात अपना घर ठीक करना है। भाजपा के नेता भी कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं हैं।

यादवों के साथ से वंचित केंद्र सरकार की सबसे बड़ी चिंता वित्त विधेयक को पारित करवाना है। भाजपा के नेता अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं, ताकि पार्टी काँग्रेस की बी टीम की तरह न दिखे। भाजपा की सबसे बड़ी चिंता महिला आरक्षण बिल का पारित करवाने में मिली सफलता से काँग्रेस को संभावित राजनीतिक लाभ है।

पेज 6 से आगे

अर्थशास्त्रियों से कृषि संकट असहनीय स्तर तक बढ़ा

ऐसी सूरत में सस्ती दरों पर विदेशों से दालें आयात करने का मतलब दरअसल वहां से भारत में बेरोजगारी आयात करने जैसा होगा ।पूर्वोत्तर राज्यों में हरित क्रांति के लिए 400 करोड़ रुपये देने की बात की गई है, यह भी गलत रणनीति है। क्योंकि हरित क्रांति की प्रौद्योगिकी ने पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की जमीन की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर दिया है। दरअसल हरित क्रांति मिंट्टी की उर्वरा शक्ति जैसे प्राकृतिक संसाधन पर आधारित था, जिसके खात्मे के साथ घटते उत्पादन और बढ़ती लागत ने किसानों को खुदकुशी के लिए मजबूर कर दिया।

इसके बावजूद पूर्वोत्तर राज्यों में हरित क्रांति के लिए पैकेज की घोषणा इस बात का प्रमाण है कि देश ने हरित क्रांति के पूर्व के अनुभवों से आज तक कोई सबक नहीं लिया। 2010 के बजट में एक व्यवहारिक नजरिया भी दिखता है। मसलन प्रणब मुखर्जी ने नरेगा यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के लिए पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए इस बार इसके लिए उचित बजटीय प्रावधान किया। 2009 में वित्त मंत्री ने नरेगा के लिए 39,000 करोड़ रुपये आवंटित किया था। इस बार नरेगा के लिए 40,100 करोड़ की राशि रखी गई है। यह एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है, क्योंकि नरेगा एक नई योजना है और जमीनी स्तर पर इसके सही क्रियान्वयन में अभी कई समस्याएं पेश आ रही हैं। इसलिए इस योजना को बड़ी धनराशि देने का मतलब भ्रष्टाचार के लिए और धन मुहैया कराना था। पिछले साल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया था। इस बार इस योजना के अंतर्गत नरेगा के मजदूरों को भी शामिल किया गया है, जिसके दायरे में नरेगा में महज 15 दिन काम करने वाले मजदूर भी आ जाएंगे। आने वाले सालों में इसके दायरे में पूरे देश के किसान परिवारों को लाना होगा, अभी तक जिनकी फसल को भी बीमा सुरक्षा प्राप्त नहीं है। पिछले तीन-चार सालों में जमीनी हालात से अनजान रहने वाले अर्थशास्त्रियों ने कृषि संकट को असहनीय स्तर तक बढ़ा दिया है। अब समय आ गया है कि किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जाएं, जो तभी संभव है जब इसके लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जाए। *(लेखक कृषि मामलों के विशेषज्ञ हैं)*

पहले पेज से आगे

राज्यसभा बनेगी पुरूषों की शरणगाह?

उल्लेखनीय है कि महिला आरक्षण केवल निर्वाचित सदनों, लोकसभा और विधानसभाओं पर लागू होने जा रहा है और राज्य सभा तथा जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं वहां उन पर यह आरक्षण लागू नहीं होगा, हालांकि इसकी सिफारिश की गई है।

अगर यह तर्क मान भी लिया जाए तो कम से कम राज्यसभा में तो ये पार्टियां महिलाओं को बड़े पैमाने पर टिकटें दे सकती थीं जहां निर्वाचन से नहीं बल्कि मनोनयन के जरिए इनका सदन में प्रवेश होता है। इससे कम से कम लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा में तो महिलाओं का औसत ज्यादा ही होता। वर्तमान राज्यसभा में कुल 233 सदस्य हैं जिनमें से सिर्फ 21 महिलाएं हैं यानि 9 प्रतिशत जो कि लोकसभा के मुकाबले काफी कम है। अगर आप चाहें तो इन तथ्यों की पड़ताल उपलब्ध आंकड़ों के बल पर सकते हैं। अब तक राज्यसभा में कुल 1976 सदस्य हुए हैं जिनमें सिर्फ 174 महिलाएं रही हैं। यानि कि सिर्फ 8.8 प्रतिशत जो कि वर्तमान औसत के ही बराबर है। वैसे तो इनकी सम्मिलित संख्या 2863 होती है क्योंकि वर्तमान 1976 सदस्यों ने अनेक ऐसे हैं जिन्हें कई बार टिकटें मिली हैं और वे निर्वाचित हुए हैं। इस लिहाज से महिलाओं की संख्या 257 हो जाती है जो फिर भी 9 फीसदी ही है। अगर पार्टीवार देखें तो कांग्रेस को यह श्रेय जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा महिलाओं को राज्यसभा में भेजा है, 174 सांसदों में 100 और 257 बार 163 महिलाओं को। लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह औसत से बहुत बेहतर नहीं है। सारे साल महिला और पुरूष दोनों ही कांग्रेसी राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो इनका सम्मिलित योग 1476 अवधियों के लिए बनता है। इसमें महिलाओं को अवसर मिला वह 11 फीसदी ही जो कि औसत से थोड़ा बेहतर है परंतु कोई बहुत अच्छा भी नहीं।

शायद इसी तथ्य को देखते हुए महिला आरक्षण पर बनी संसदीय स्थायी समिति ने कहा था- ''समिति की यह सिफारिश है कि महिलाओं को राज्यसभा और विधान परिषदों में भेजने की जरूरत हो गहराई से जांचे जाने की जरूरत है क्योंकि सदन का ऊपरी सदन और राज्य विधान परिषद संविधान के अंतर्गत और महिलाओं को समानता दिए जाने के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसलिए जरूरी है कि इन सदनों में महिलाओं को उपयुक्त भागीदारी दिलाई जाए।'' इसलिए कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आने वाले समय में राज्यसभा में पुरूषों को ज्यादा जगह मिलेगी क्योंकि महिला आरक्षण के चलते जो पुरूष लोकसभा में प्रवेश करने से वंचित रह जाएंगे उन्हें खुश करने के लिए या उन्हें मुआवजा स्वरूप राज्यसभा में भेजने की राजनीतिक परिपाटी आरंभ हो जाएगी।

पहले पेज से आगे

वूमैन ऑफ द डे

यह चर्चा जब चल रही थी तब भी स्पष्ट था कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल इस बिल को लेकर तगड़ा विरोध करेंगे और इस मसले पर वे सरकार से समर्थन तक वापस ले सकते हैं। इसके लिए भी जब सोनिया ने सबको तैयार रहने के लिए कहा तो अनेक कांग्रेसजन इस बात को सोच रहे थे कि क्या यह मुद्दा इतना बड़ा है कि इसके लिए सरकार को दांव पर लगा दिया जाए। यहां तक कि जब उन तक सीधे विरोध की धमकियां आने लगीं फिर भी सोनिया टस से मस नहीं हुई। उनका कहना था कि जब हम यहां तक आ गए हैं तो यहां से लौटने का विकल्प हमारे पास है ही नहीं। तीनों यादवों (शरद, लालू और मुलायम) की धमकियां और मुस्लिम वोट बैंक खिसकने के खतरे से भी उन्हें आगाह किया गया परंतु सोनिया ने बड़ा दांव खेलना पसंद किया।

मंगलवार को बिल का असंसदीय तरीके से हो रहे लगातार विरोध के बावजूद राज्यसभा के उपसभापति हमीद अंसारी द्वारा बिल पर वोटिंग कराए जाने के निर्णय के एक घंटा पहले हुई। कोरग्रुप की बैठक में उन्होंने अपना निश्चय फिर दोहराया और कहा कि बिल को हर हालत में पास कराना चाहिए। सोनिया का यह निश्चय इसलिए महत्वपूण बन जाता है क्योंकि स्थायी समिति द्वारा मंजूर करने के पश्चात केन्द्रीय केबिनेट बैठक में भी इस बिल को राज्यसभा में पेश करने के निर्णय के बाद कांग्रेस पार्टी और सरकार के बीच कोई बैठक तक नहीं हुई थी। यह तो स्पष्ट हो गया है कि सोनिया गांधी ऐसी हस्ती नहीं है जो राजनैतिक झगड़ों में खुद को गिरा दे लेकिन इस दृढ़ निश्चय के बाद यह भी स्पष्ट हो गया है कि वह बड़े खतरे मोल लेने वाली नेता भी है। उन्होंने यह भी साबित कर दिया है कि मजबूत सरकार से उनके अपने राजनीतिक एजेंडे का कोई लेना-देना नहीं है। टाइम्स नाऊ के साथ बातचीत में सोनिया गांधी ने कहा कि अब उन्होंने अपने सिपहसालारों को आरक्षण बिल पास कराए जाने का निर्देश दिया तब भी संभावित खतरों से पूरी तरह वाकिफ थीं। एक टीवी चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजनीति में खतरे तो हमेशा होते ही हैं लेकिन हमें एक बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। इस मुद्दे के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्षों को उन्होंने भरपूर जांचा था। उन्होंने बताया कि प्रारंभ में हम ऊहापोह की स्थिति में जरूरत थे परंतु हमने सबसे खराब स्थिति तक का सामना करने की तैयारी कर रखी थी। यह पूछे जाने पर कि क्या इसके बाद वे स्थायी सरकार बनी रहेगी, सोनिया का कहना था- हां, वैसा सोचती है। हालांकि हम संख्या को लेकर बहुत सुविधाजनक स्थिति में नहीं हैं परंतु इसके बारे में कोई निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकता। आखिर मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं।

हालांकि सोनिया गांधी का कहना था कि उनकी इच्छा है कि उनके सहयोगी उनके साथ बने रहें। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद और मुलायम के साथ उनके संबंध अभी भी बने हुए हैं। परंतु मैं चाहती हूं कि मुद्दों पर इन संबंधों का कोई असर न हो। ममता बेनर्जी द्वारा राज्यसभा से वॉकआउट किए जाने संबंधी सवालों का जवाब भी उन्होंने टीवी चैनलों को निर्भयतापूर्वक दिया और कहा कि उसका कारण मैं समझ नहीं सकती। मुझे बताया जाए कि 26 तारीख को हुई बैठक में इस बिल पर वे (ममता) काफी उत्साहित थीं।

सोनिया गांधी ने कहा है कि सरकार और यूपीए के स्थायित्व पर कोई संकट नहीं है। सोनिया गांधी ने विधेयक पास होने के बाद बेहद खुश होते हुए कहा कि उन्हें ज़्यादा खुशी होती कि अगर उनके पुराने सहयोगी साथ होते। सोनिया ने कहा, काश, वे हमारे साथ बने होते। लेकिन मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं जो इस बात को बता सकूं।

सोनिया से जब यह पूछा गया कि आरजेडी और समाजवादी पार्टी के साथ छोड़ देने के बाद क्या उन्हें यूपीए और सरकार की स्थिरता पर भरोसा है, तो कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हां, उन्हें पक्का यक़ीन है। जब उनसे लोकसभा में बिल को पास कराने के बारे में पूछा गया तो सोनिया ने कहा कि हमें उम्मीद बनाए रखना चाहिए।

ममता बनर्जी ने भी बिल को लेकर कुछ सवाल खड़े किए हैं। इस बारे में जब सोनिया से पूछा गया तो कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मंत्रिमंडल में जब यह बिल पेश किया गया, तो ममता बनर्जी पूरा साथ दे रही थीं। डीएमके भी साथ थी और उन्होंने प्रधानमंत्री को बधाई भी दी थी। हर किसी ने इसका साथ दिया था। यूपीए के अंदर मैं किसी तरह की समस्या नहीं देखती हूं।

सोनिया ने कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक को लेकर किसी तरह के दबाव में नहीं आएगी। यूपीए में किसी तरह के संकट को दरकिनार करते हुए सोनिया ने कहा, मैं कोई संकट नहीं देख रही हूं। रास्ते में कोई अड़चन नहीं आने वाली है। सोनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दफ़्तर में मंगलवार को पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक हुई और वही सबसे अहम साबित हुई। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह उनकी ख़ुद की मेहनत का नतीजा है, तो सोनिया गांधी ने कहा, यह तो राजीव गांधी का सपना था। इसमें सबका योगदान रहा है। लेफ़्ट ने हमें पूरा समर्थन दिया। बीजेपी तक ने हमारा साथ दिया।

बीएसपी ने महिलाओं को 50 फ़ीसदी आरक्षण देने की मांग की है। इस बाबत पूछे जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह विधेयक देश की महिलाओं के आगे बढ़ने के सिलसिले में बड़ा क़दम है। सोनिया ने हामिद अंसारी के क़दम को बिलकुल ठीक क़रार दिया, जिसके तहत सात सांसदों को सस्पेंड किया गया था। सोनिया ने कहा कि कई ऐसे मौक़े आते हैं, जब अध्यक्ष को इस तरह के फ़ैसले लेने होते हैं।

आखिरी पेज से आगे

डीएसपी नियुक्ति, सिंगल बेंच का फैसला डबल से खारिज

इस मामले में हाईकोर्ट की सिंगल बैंच में सुनवाई करते हुए जस्टिस सतीश अग्निहोत्री ने सभी 44 डीएसपी की नियुक्ति रद्द कर दी थी।

सिंगल बेंच के आदेश के बाद राज्य शासन, पीएससी और चयनित अभ्यर्थियों ने डिवीजन बेंच में रिट लगाई थी। अपील में कहा गया था कि 2005 की भर्ती नियम में आयुसीमा के निर्धारण के बारे में प्लेन डीएसपी के बारे में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। यह भर्ती नियम डीएसपी हेडक्वार्टर, डीएसपी ट्रैफिक और दूसरे पदों के लिए था। 2005 की भर्ती नियम में यह भी कहा गया है कि जिन पदों की आयु सीमा के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है उसमें 2000 का ही भर्ती नियम लागू होगा।

डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस धीरेंद्र मिश्रा और रंदनाथ चंद्राकर ने सिंगल बेंच के फैसले को खारिज करते हुए चयनित अभ्यर्थियों की अपील स्वीकार कर ली है।

बैकुण्ठपुर। ग्राम सीतापुर में एक वृद्ध ने घरेलू विवाद के चलते कनेर बीज का सेवन कर लिया।

Name, Fame and Game-1397 Solution

अगर आप कुछ नाम ढूंढ न पाए हों तो यहां दिए गए उत्तरों की मदद लें। नामों को आड़ी और खड़ी कतारों के नंबर व उनकी दिशा के आधार पर ढूंढें

(Over,Down,Direction)
AMARPREM(3,8,NE)
ANGAAR(10,13,SE)
ARADHANA(1,19,E)
AYASAW ANJHOOMKE(13,15,N)
BACHPAN(16,19,W)
DILDAULATDUNIYA(16,1,S)
DOBHAI(12,24,E)
DULHADULHAN(1,1,S)
GEET(8,7,SW)
GORAAURKALA(12,5,SW)
HARERAAMAHAREKRISHNA(15,20,N)
HIMALAYKIGODMEIN(18,18,NW)
HUMSHAKAL(11,13,NW)
ISHQPARZORNAHIN(17,20,W)
JABJABPHOOLKHILE(17,16,N)
JEENEKIRAAH(14,11,N)
JHEELKEUSPAAR(2,23,E)
KATIPATANG(11,18,W)
KHILONA(8,1,SW)
KITNEDOORKITNEPAAS(18,21,W)
LOAFER(8,6,NW)
MASTANA(4,9,S)
MEHNDILAGIMEREHAATH(9,1,S)
MILAN(10,1,S)
MYLOVE(12,11,N)
NAYANASHA(2,12,N)
PHOOLBANEANGAREY(1,22,E)
POCKETMAAR(1,16,E)
PYARKIKAHANI(18,1,S)
RAJAAURRUNK(1,24,E)
SEETAAURGEETA(2,6,SE)
SUBHAOSHAM(11,1,S)
SUHANASAFAR(12,17,W)

पहले पेज से आगे

साल भर में पैडल नहीं मिले सरस्वती पैदल

इस तरह फिलहाल साइकिल खरीदने के लिए राशि बचाने की कवायद चल रही है। इस दौरान वितरित करना संभव नहीं माना जा रहा है।

सब शासन के निर्देश पर ही - कुर्रे

जिला शिक्षाधिकारी बीएल कुर्रे ने बताया कि जिले में इस साल 7993 बालिकाओं को साइकिलें दी जाएंगी। सत्र बीतने के बाद साइकिल बांटने के सवाल पर कहा कि यह राज्य शासन की योजना है और जब वहां से आंबटन और निर्देश आएगा, तभी कुछ किया जा सकता है। सब कुछ शासन के निर्देशानुसार किया जा रहा है।

मौत के कुएं में हौसले की भीड़

मोटरसाइकिल में हैरत अंगेज कारनामे दिखाने वाले मालू का कहना है कि मौत के कुएं में मोटर साइकिल चलाने का खेल हालाकि जोखिम वाला है लेकिन जोखिम को चुनौती मानने वालों के लिए ये खेल मुश्किल भी नहीं है। शंकर उस्ताद की ट्रेनिंग लेकर प्रदर्शन के लिए तैयार मालू कहता है कंपनी में काम करता था। रिस्क लेने में मजा आता है इसलिए ये खेल सीख जरुर लिया लेकिन मां-बाप की इसकी खबर नहीं है।

आखिरी पेज से आगे

ज्यादा सूखत बताने वाले निलंबित

इन कर्मचारियों को तीन साल तक जिला कार्यालयों में पदस्थ रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी तरह 2 से 4 प्रतिशत तक शार्टेज बताने वालों के खिलाफ भी तीन वेतनवृद्धि रोकने की कार्रवाई की गई है। गृहमंत्री ननकी राम कंवर ने पुलिस को मामला सौंपने के सवाल पर कहा कि जानबूझकर शार्टेज बताने वाले कई कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस तरह के और भी मामले सामने आने पर उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी।

न्यायालय नजूल अधिकारी जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

(रा.प्र.क्र./19/अ-20 (3) वर्ष 2009-10)

उद्घोषणा

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री कुबेर सिंह आ. स्व. श्री शोभित सिंह निवासी न्यू जागृति चौक संतोषी पारा कैम्प-2 भिलाई जिला दुर्ग के द्वारा छावनी कैम्प-2 शारदापारा स्थित भूखंड क्रमांक 1301 रकबा 12 वर्गमीटर के पट्टाधारी श्री शोभित आ. बाहरू की मृत्यु दिनांक 20.5.95 को हो जाने के फलस्वरूप उक्त भू-खण्ड को वारिसान हक में आवेदक के नाम दर्ज करने हेतु नामांतरण आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अत: उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को किसी प्रकार उजर या दावा पेश करना हो तो नियत पेशी तिथि 26.3.2010 तक स्वयं या अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दावा या आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत समयावधि पश्चात प्राप्त दावा आपत्तियां विचारणीय नहीं होगा।

मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से आज दिनांक 26.2.10 को जारी किया गया।

मुहर

नजूल अधिकारी
दुर्ग (छ.ग.)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, महासमुंद में विश्वकर्मा योजनांतर्गत प्रवेश सूचना

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, महासमुंद में संचालनालय रोजगार प्रशिक्षण के अंतर्गत राज्य शासन की विश्वकर्मा योजनांतर्गत सत्र मार्च 2010 में प्रवेश हेतु आठवीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। योजनांतर्गत व्यवसाय विद्युतकार, कारपेंटर, प्लंबर एवं मेशन में चार घंटे प्रतिदिन के अनुसार प्रत्येक में 30 कार्य दिवस के हिसाब से कुल 120 दिवसों का प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा। प्रशिक्षणोपरांत आयोजित परीक्षा में सफल प्रशिक्षणार्थियों को राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रमाण पत्र दिया जावेगा। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 23.03.2010 है। चयनित की सूची दिनांक 26.03.2010 को चस्पा कर दी जावेगी। प्रवेशित/प्रतिक्षा सूची के आवेदक दिनांक 27.03.2010 तक संस्था में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त कर लेवें, इस हेतु उन्हें किसी भी प्रकार का बुलावा पत्र नहीं भेजा जावेगा। आवेदन का प्रारूप एवं योजना की जानकारी निम्नानुसार है।

विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, महासमुंद (छ.ग.)
1. आवेदक का नाम, 2. पिता/पति का नाम, 3. जन्मतिथि, 4. पत्र व्यवहार का पता, 5. विकासखंड, 6. केटेगरी, 7. क्या आप गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। हां/नहीं, 8. शैक्षणिक योग्यता:-

दिनांक ---------- आवेदक के हस्ताक्षर

आवश्यक जानकारी:-

1. आवेदक की न्यूनतम आयु प्रवेश दिनांक को 14 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित है।
2. प्रशिक्षण हेतु चयनित आवेदकों को रुपये 500/- प्रतिमाह शिष्यवृत्ति न्यूनतम 85 प्रतिशत उपस्थिति पर एवं निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण करने पर दिया जावेगा।
3. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवेदकों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जावेगी।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ महिला आदि के आवेदकों हेतु शासकीय नियमानुसार स्थान आरक्षित है। अत: उपरोक्त वर्ग के आवेदक तत्संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करें। इस संबंध में अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में संस्था कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

प्राचार्य
औद्यो. प्रशि. संस्था,
महासमुंद (छ.ग.)

जी-18051